

CNRN: UPMED-008709-2019

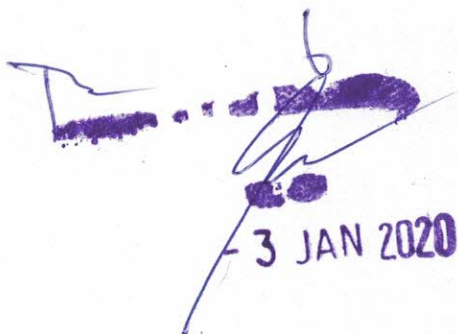
प्रीत पत्र

NITIN GOEL
Advocate
Regn. No. 5123/05
47, Teen Shade, Civil Court
Meerut, Mob.: 9917000868

आदरणीय न्यायाधीश जी (सी.डी.सी.) मेरठ

वार्ड नं. 104 मंडल 2019

आदरणीय न्यायाधीश जी (सी.डी.सी.) मेरठ


3 JAN 2020



11
19.12.19

आदरणीय न्यायाधीश जी (सी.डी.सी.) मेरठ
वार्ड नं. 104 मंडल 2019
आदरणीय न्यायाधीश जी (सी.डी.सी.) मेरठ
3 JAN 2020
3 JAN 2020

न्यायालय सिविल जज सी0डी0 मेरठ।

वाद संख्या- 104 सन् 2018

श्री आदिनाथ एस्टेट डवलपर्स एक पार्टनरशिप फर्म द्वारा पार्टनर श्री आशीष जैन पुत्र स्व0 श्री सुभाष चन्द जैन निवासी-61 शिवाजी रोड, मेरठ।

बनाम्

- 1- योगेश कुमार त्यागी उम्र नामालूम पुत्र श्री रामसिंह त्यागी
- 2- श्रीमति अंजू त्यागी उम्र नामालूम पत्नी श्री योगेश कुमार त्यागी निवासीगण-अनुयोगीपुरम गढ़रोड, मेरठ।

वादी निम्न निवेदन करता है-

1. यहकि वादी एक रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है जोकि पार्टनरशिप एक्ट के अनुसार पंजीकृत है तथा फर्म के मैसर्स जसवन्त शुगर मिल्स लिमिटेड, किंशुक सिंघल एच0यू0एफ0 द्वारा कर्ता किंशुक सिंघल, आशीष जैन पुत्र स्व0 श्री सुभाष चन्द जैन, श्रीमति सविता जैन पत्नी स्व0 श्री सुभाष चन्द जैन, ये सभी भागीदार थे। उक्त फर्म दिनांक 01.04.2016 को आरम्भ की गई थी जिसकी पार्टनरशिपडीड दिनांक 01.04.2016 को ही लिखी गई थी तथा उक्त फर्म में सभी भागीदार बराबर-बराबर 1/4-1/4 भाग के भागीदार थे।
2. यहकि उक्त फर्म का मुख्य उद्देश्य रियल एस्टेट एवं कॉलोनाईजिंग करके कॉलोनी बनाना तथा उसे विकसित करके आमजन को सस्ते दरों पर प्लॉट, फ्लैट्स तथा निर्मित मकान उपलब्ध कराना एवं कॉलोनी के प्लॉट्स पर मकान बनाना इस प्रकार उक्त फर्म बिल्डर का भी कार्य करती है तथा इसी उद्देश्य से उक्त फर्म लगातार कार्य करती आ रही है।
3. यहकि वर्ष 2018 में प्रतिवादीगण द्वारा इसी उद्देश्य से रियल एस्टेट का कार्य प्रारम्भ करने हेतु वादी फर्म के भागीदारों से सम्पर्क किया तथा फर्म में भागीदार बनने की इच्छा प्रकट की तथा फर्म के तत्कालीन भागीदारों द्वारा समस्त टर्म तथा कन्डीशन्स तय करके यह तय पाया गया कि प्रतिवादीगण को भी फर्म में 12.5% प्रत्येक को भागीदार बनाने का निश्चय किया गया।
4. यहकि प्रतिवादीगण द्वारा फर्म में पार्टनर बनने हेतु अपनी ओर से कैपिटल कन्ट्रीब्यूशन के रूप में अपनी सम्पत्ति खसरा संख्या-1220 क्षेत्रफल 0.5820 हैक्टेयर, खसरा संख्या-1221 क्षेत्रफल 0.8730 हैक्टेयर, खसरा संख्या-1190 क्षेत्रफल 0.8500 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या-1233 क्षेत्रफल 1.3780 हैक्टेयर कुल नम्बरान 4 कुल क्षेत्रफल 3.6830 हैक्टेयर में से कुल क्षेत्रफल 2.8330 हैक्टेयर



05 FEB 2019



भाग स्थित ग्राम दतावली गेसूपुर परगना तहसील व जिला मेरठ को अपने फर्म में अपने पूंजी अंश के बदले पूल डाऊन कर दिया गया।

5. यहकि इसके फलस्वरूप फर्म द्वारा पूर्व पार्टनरशिपडीड को चेंज करके नयी पार्टनरशिपडीड दिनांक 01.10.2018 को बनाई गयी। इस प्रकार उपरोक्त 28330 वर्गमीटर भूमि सम्पत्ति फर्म की सम्पत्ति हो गयी तथा फर्म ही उक्त सम्पत्ति की मालिक एवं काबिज हो गई।
6. यहकि तत्पश्चात् प्रतिवादीगण एवं वादी फर्म के अन्य भागीदारों के मध्य कुछ विवाद उत्पन्न हो गये जोकि काफी लोगों द्वारा मध्यस्थता नहीं करने पर भी जब समाप्त नहीं हुये तो फर्म के भागीदारों के मध्य यह तय पाया गया कि प्रतिवादीगण को फर्म से अलग कर दिया जाये ताकि फर्म सुचारु रूप से कार्य कर सके, इस सम्बन्ध में दिनांक 07.01.2019 को प्रतिवादीगण को रिटायर करने हेतु पार्टनरशिपडीड में चेंज करके रिटायरमेंट कम पार्टनरशिपडीड की रचना की गई तथा प्रतिवादीगण की पूंजी का भुगतान बैंकिंग सिस्टम द्वारा कर दिया गया तथा उसके पश्चात् प्रतिवादीगण का प्रश्नगत सम्पत्ति के स्वामित्व एवं अधिपत्य से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं रहा है क्योंकि उक्त सम्पत्ति फर्म के स्वामित्व की सम्पत्ति है।
7. यहकि प्रश्नगत सम्पत्ति पार्टनरशिप एक्ट के प्रावधानों के अनुसार वादी फर्म का स्टॉक एण्ड ट्रेड है जोकि उक्त एक्ट के प्राविधानों के अन्तर्गत चल सम्पत्ति है तथा उक्त एक्ट के प्राविधानों के अन्तर्गत फर्म की कैपिटल कभी भी भागीदारों की सहमति से बढ़ाई एवं घटाई जा सकती है एवं किसी भी नये भागीदार को फर्म में ऐन्टर एवं पुराने पार्टनर को फर्म से रिटायर किया जा सकता है।
8. यहकि इस प्रकार प्रतिवादीगण के फर्म से रिटायर होने के पश्चात् उनका फर्म अथवा उसकी किसी भी सम्पत्ति से किसी भी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं रह गया है। चूंकि प्रश्नगत सम्पत्ति पहले ही फर्म की सम्पत्ति हो गयी है।
9. यहकि दिनांक 04.02.2019 को फर्म के पार्टनर श्री आशीष जैन द्वारा प्रश्नगत सम्पत्ति को हमवार करके उसकी चारदीवारी करने का कार्य आरम्भ किया गया तो प्रतिवादीगण एवं उनके कर्मचारियों द्वारा वादी फर्म की सम्पत्ति में किये जाने वाले उक्त कार्य में बाधा उत्पन्न हुई तथा उक्त दिवस को कार्य सम्पन्न नहीं हो सका इस सम्बन्ध में वादी के भागीदार आशीष जैन द्वारा जब प्रतिवादीगण से बातचीत की गई तो उनके द्वारा आशीष जैन की बात सुने बिना ही उनकी कोई भी बात सुनने एवं मानने से इन्कार कर दिया तथा स्वयं को प्रश्नगत सम्पत्ति का मालिक बताया इसलिये प्रस्तुत वाद योजित करने की आवश्यकता हुई।
10. यहकि वाद का कारण सर्वप्रथम दिनांक 01.04.2016 को फर्म की उत्पत्ति होने तथा तत्पश्चात् समय-समय पर फर्म की पार्टनरशिप में चेंज होने एवं तत्पश्चात्

दिनांक 07.01.2019 को प्रतिवादी द्वारा फर्म में भागीदार बनने एवं अपनी कैपिटल कन्ट्रीब्यूशन के रूप में अपनी प्रश्नगत सम्पत्ति फर्म में पूलडाउन करने तथा तत्पश्चात् प्रतिवादीगण द्वारा फर्म के भागीदारों से विवाद करने तथा तत्पश्चात् आपसी सहमती से प्रतिवादीगण द्वारा अपना अंश लेकर वादी फर्म से रिटायर होने तथा तत्पश्चात् दिनांक 04.02.2019 को फर्म द्वारा मौके पर भूमि को हमवार एवं बाउण्ड्रीवाल के निर्माण कार्य में हस्तक्षेप करने तथा वादी फर्म के भागीदार आशीष जैन की कोई भी बात सुनने एवं मानने से इंकार करने के कारण माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न हुआ है। तथा माननीय न्यायालय को प्रस्तुत वाद सुनने एवं निर्णीत करने के सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त है।

11. यहकि वाद का मूल्यांकन प्रतिकार 'अ' के लिये अंकन 6,00,000/- रुपये पर किया जाकर न्याय शुल्क अंकन 200/- रुपये तथा प्रतिकार 'ब' के लिये अंकन 6,00,000/- रुपये पर किया जाकर न्याय शुल्क अंकन 500/- रुपये इस प्रकार कुल मूल्यांकन अंकन 12,00,000/- रुपये पर किया जाकर कुल न्याय शुल्क अंकन 700/- रुपये अदा किया जाता है।

12. यहकि वादी माननीय न्यायालय से निम्न प्रतिकारों की याचना करता है—

अ— यहकि न्यायालय की घोषणात्मक डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय से जारी की जाये कि प्रश्नगत सम्पत्ति जिसका सम्पूर्ण विवरण वादपत्र में दिया गया है कि स्वामी वादी फर्म है तथा प्रतिवादीगण का उक्त सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा अधिपत्य से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है।

ब— यहकि न्यायालय की स्थाई निषेधात्मक आज्ञा की डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण जारी कर प्रतिवादीगण को स्वयं अपने अधिकारियों, कर्मचारियों, रिश्तेदारों एवं एजेन्ट आदि-आदि द्वारा वादी फर्म की प्रश्नगत सम्पत्ति के स्वामित्व एवं अधिपत्य तथा किसी भी प्रकार से उपयोग एवं उपभोग करने में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप करने से निषेधित किया जावे।

स— यहकि वाद का वाद व्यय वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे।

द— यहकि अन्य कोई प्रतिकार जो माननीय न्यायालय की दृष्टि में सही एवं उचित हो बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण दिलाया जावे।

मैं आशीष जैन बहसियत भागीदार वादी फर्म प्रमाणित करता हूँ कि प्रस्तुत वादपत्र की धारा-1 ता 9 का कथन मेरे निजी ज्ञान एवं रिकॉर्ड तथा धारा-10 ता 12 का कथन वैधानिक मंत्रणा के आधार पर मेरे विश्वास में सत्य है। प्रमाणित स्थापन मेरठ।

दिनांक 02.02.2019

For M/s Shree Aadinalth Estate Developers

Partner

COPY XEROXED & COMPARED
WORDS COUNT
CIVIL COURT MEERUT

सत्यापन

For M/s Shree Aadinalth Estate Developers

वादी

द्वारा अधिवक्ता

SHARAD JAIN

Advocate

Reg. No. 23

Compound C.A.

Mob- 9412200322

Partner

अन्य प्रतिलिपि

मुख्य प्रतिलिपि

जजी, मेरठ

- 3 JAN 2020